राजस्व प्रकरण संख्याः–10/2015 दायर तारीख 11.03.2015

1. सत्यनारायण पिता कन्हैयालाल जाति शर्मा उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा

सत्यनारायण पिता कन्हैयालाल जाति शर्मा मृतकः–

1.1 अभिषेक पिता सत्यनारायण जाति उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा।

1.2 अखिलेष पिता सत्यनारायण जाति उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा।

1.3 किर्ती कुमारी पुत्री सत्यनारायण जाति उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा।

1.4 सविता पत्नि सत्यनारायण जाति उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा।

2. मधु पुत्री कन्हैयालाल जाति शर्मा उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा

..............वादीगण

बनाम

1. भंवरलाल पिता गिरधर लाल जाति गुजर उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
2. जमनालाले पिता मोहन लाल जाति भील उम्र वयस्क निवासी मोगरवासा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
3. मन्नालाल पिता मोहन लाल जाति भील उम्र वयस्क निवासी मोगरवासा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
4. मु0 दोली बेवा मोहन लाल जाति भील उम्र वयस्क निवासी मोगरवासा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
5. भूमिधारी जरिये तहसीलदार साहब बिजौलियां

..........प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 रा0टि0एक्ट0

:–निर्णयः– दिनांक 11.05.2018

वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है वादीगण ने एक नियमित राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्व प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मोगरवासा में गत बन्दोबस्ती आराजी नं0 85 रकबा 2 बीघा एंव आराजी नं0 27 रकबा 4 बीघा 01 बिस्वा भूमि सम्वत् 2021 से 2024 की जमाबन्दी में गिरधर पिता रामगोपाल गुर्जर साकिन बिजौलियां के खातेदारी की आराजीयात थी। खातेदार गिरधर लाल ने दिनाक 1412. 1963 को उक्त आराजी वादीगण के पिता कन्हैयालाल पिता चतुरभुज जाति ब्राहम्ण निवासी बिजौलियां को बिल एवज 100/– रु0 में अन्य आराजीयात के साथ विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया। विक्रय पत्र का निष्पादन व पंजीयन श्री कन्हैयालाल के पक्ष में करा दिया। वादीगण के पिता कन्हैयालाल का कब्जा सन् 1963 के बाद से ही लगातार चला आ रहा था और उनकी मृत्यू के उपरान्त वादीगण का कब्जा चला आ रहा है। गिरधरलाल का उत्तराधिकारी पुत्र प्रतिवादी नं0 1 है। गत बंदोबस्ती आराजी नं0 85 के नये नं0 153 रकबा 3 बीघा तथा गत बन्दोबस्ती आराजी नं0 27 के नये आराजी नं0 54 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा कायम हुये जो वादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड होने चाहीये थे। किन्तु सेवन से आराजी नं0 153 रकबा 3 बीघा प्रतिवादी नं0

उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां (भीलवाड़ा)

दर्ज रिकार्ड हो मिलान क्षेत्रफल में प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 के पिता मोहन परमानन्द भील के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड कर दिया। भू प्रबन्ध विभाग को इस प्रकार के अंकन परिवर्तन का कोई अधिकार प्राप्त नही है। यह परिवर्तन शुन्य व वादीगण के मुकाबले अप्रभावी है। गिरधरलाल के द्वारा किये गये विक्रय पत्र दिनांक 14.12.1963 के बाद प्रतिवादी नं0 1 का आराजी नं0 153 रकबा 3 बीघा में कोई स्वामित्व व अधिकार नही रहा था ओर न ही मौके पर कब्जा है इसी प्रकार आराजी नं0 54 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा भू प्रबन्ध विभाग ने क्षैत्राधिकार से परे अलोटमेंट का विवरण देकर प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 के पिता के नाम गलत दर्ज कर दी जबकि उक्त दोनो आराजीयात वादीगण के स्वामित्व की होकर वादीगण के ही कब्जे काश्त में है तथा विक्रय पत्र के आधार पर वादीगण के पिता कन्हैयालाल इसके उपरान्त वादीगण के नाम दर्ज होनी चाहीये थी। विक्रय पत्र व कब्जे के आधार पर वादीगण यह समजते रहे कि उक्त आराजीयात उनके नाम पर दर्ज है किन्तु दिनांक 30.11.2014 को प्रतिवादी ने वादीगण को धमकी दी और राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज होने का हवाला देते हुये उक्त आराजी उनकी होना बता कब्जा छीनने का प्रयास किया तब सर्वप्रथम वादीगण को इस तथ्य की जानकारी हुई कि उक्त वर्णित पश्चातवर्ती विक्रय पत्र किये हुये है। चूँकी उक्त आराजीयात बंजड बीडे के रुप में है जिनसे वादीगण घास प्राप्त करते आ रहे थे। इस कारण राजस्व रिकार्ड में की गई हेराफेरी की जानकारी व वादीगण के नाम दर्ज नही होने का तथ्य प्रकट हो गया। विक्रय पत्र दिनांक 14.12.1963 से वादीगण खातेदार काश्तकार हैं। उक्त विक्रय पत्र न तो निरस्त हुआ है न ही वादीगण द्वारा उक्त खरीदसुदा आराजी का विक्रय हस्तान्तरण किया गया है। मात्र राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी भूमिधारी द्वारा वादीगण के नाम विक्रय पत्र के आधार पर अंकित नही किये जाने से वादीगण के हितों पर विपरित प्रभाव पड सकता है। इस बाबत वादीगण ने प्रतिवादी भूमिधारी से विक्रयपत्र के आधार पर अपने नाम उक्त आराजी नं0 153 व 54 को दर्ज किये जाने बाबत निवेदन किया किन्तु गत बन्दोबस्ती आराजी का विक्रय होने व पश्चावर्ती विक्रय पत्रों पत्रों के रिकार्ड में दर्ज हो जाने से तहसीलदार ने आराजी नं0 153 व 54 हम वादीगण के नाम दर्ज नही की । प्रतिवादी अपने नाम पर दर्ज भूमि का गलत फायदा उठा कर वादीगण को बेदखल करने जबरन कब्जा करने पर आमदा है। कभी भी वादीगणको बेदखल किया जा सकता है। इस आश्य की धमकी दिनांक 30.11.2014 को दी जिससे वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरुद्व जारी करवाया जाना आवश्यक हो गया। वादी ने अनुतोष चाहा कि खातेदार घोषित किये जाने की डिक्री बहक वादीगण विरुद्व प्रतिवादीगण सादिर फरमायी जावे कि ग्राम सोगरवासा स्थित आराजी नं0 153 रकबा 3 बीघा व आराजी नं0 54 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा भूमि का खातेदार काश्तकार जरिये विक्रयपत्र दिनांक 14.12.1963 से घोषित फरमाया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजीयात वादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड किये जाने की डिक्री सादिर फरमाई जावे। स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री बहक वादीगण विरुद्व प्रतिवादीगण सादिर फरमायी जावे कि उक्त भूमि वादीगण के उपयोग उपभोग कब्जे में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, वादी को बेदखल नही करें, न ही किसी अन्य से करावे। आराजीयात में वादी के हक हिस्से की भूमि को प्रतिवादी के किसी भी व्यक्ति को हस्तानतरण नही करे।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां(भीलवाड़ा)

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवाई गई।

प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की ओर से अधिवक्ता अनिल धाकड ने अंडर टेकिंग ली तत्पश्चात अधिकार पत्र नेतिन सारस्वत अधिवक्ता ने दिनांक 09.03.2016 को प्रस्तुत किया। तथ्यात्मक जवाब प्रस्तुत न कर दिनांक 09.11.2017 को पेरवी से इंकार किया जिससे एकपक्षिय कार्यवाही करने के आदेश पारित किया गया तथा प्रतिवादी 1 व 5 बावजुद सूचना गैर हाजिर रहने से एकपक्षिय कार्यवाही के आदेश

वर्तमान जमाबंदी आ0नं0 54, जमाबंदी सम्वत् 2064 से 2067, जमाबंदी सम्वत् 2028 आ0नं0 54, जमाबंदी सम्वत् 2028 आ0नं0 153, जमाबंदी सम्वत् 2021 से 2024, जमाबंदी सम्वत् 2017 से 2020, मिलान क्षैत्रफल, विक्रयपत्र दिनांक 14.12.1963 की प्रति प्रस्तुत की है।

प्रकरण एकपक्षिय होने से तनकीयात कायम नही की जाकर प्रकरण को शहादत वादी में रखा गया।

साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू 1 अभिषेक पिता सत्यनारायण शर्मा निवासी बिजौलियां को प्रस्तुत कर बयान करवाये गये।

पी.डब्ल्यू 1 अभिषेक पिता सत्यनारायण शर्मा निवासी बिजौलियां ने बयान में लिखवाया कि वादग्रस्त जमीन मोगरवासा की है जिसके गत बन्दोबसती आराजी नं0 85 व 27 है जो गिरधर पिता रामगोपाल गुर्जर की खातेदारी की आराजीयात है। खातेदार गिरधरलाल ने दिनांक 14.12.1963 को कन्हैयालाल पिता चतुर्भुज मेरे दादाजी को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया गया। विक्रयपत्र का निस्तारण मेरे दादाजी के पास में करवा दिया था। जो प्रदर्श ईएक्श–1 है। उस समय जमीन राजस्व कर्मचारीयों ने जमीन खाते दर्ज नही की। खातेदार गिरधारीलाल की मृत्यू हो गई। वादग्रस्त जमीन उसके उत्तराधिकारी प्रतिवादी भंवरलाल के नाम दर्ज हो गई। वादग्रस्त आराजीयात पैमुदगी के सेटलमेंट में आराजी नं0 85 के नये आराजी नं0 153 व आराजी नं0 27 के नये आराजी नं0 53 बने है। वादग्रस्त आराजी नं0 54 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा भूमि की पफमुदगी सेटलमेन्ट बिलानाम कर आवंटन प्रतिवादी नं0 2 लगायत 4 के पिता के नाम गलत दर्ज कर दी। जबकि वादग्रस्त आराजी नं0 153 रकबा 3 बीघा भूमि आज भी प्रतिवादीगण से भंवरलाल के नाम दर्ज है। जबकि विक्रयपत्र के आधार पर वादग्रस्त आराजी हम वादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड होनी चाहीये। मेने दस्तावेज जमांबदी ग्राम मोगरवासा सम्वत् 2068 से 2071 की पेश की जो प्रदर्श 2 है। जमांबदी सम्वत् 2068 से 2071 की पेश की जो प्रदर्श 3 है। जमांबदी सम्वत् 2064 से 2067 की पेश की जो प्रदर्श 4 है। जमांबदी सम्वत् 2028 से 2031 की पेश की जो प्रदर्श 5 है। जमांबदी सम्वत् 2021 से 2024 की पेश की जो प्रदर्श 6 है। जमांबदी सम्वत् 2017 से 2020 की पेश की जो प्रदर्श 7 है। मिलान क्षैत्रफल की नकले पेश की है जो प्रदर्श 8 व 9 है। जमीन विक्रय पत्र के आधार पर हम वादीगण के नाम भूमि दर्ज होनी चाहीये।

वादी द्वारा अन्य किसी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से शहादत वादी बंद की गई।

प्रकरण एकपक्षिय होने से बहस विद्वान अधिवक्ता वादी की सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने वादपत्र में अंकित तथ्यों का विस्तार से जिक्र करते हुये निवेदन किया कि वादपत्र वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता वादी की एकपक्षिय बहस पर मनन किया ।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां(भीलवाड़ा)

वादिया का वाद है कि ग्राम मोगरवासा स्थित आराजी नं0 153 रकबा 3 बीघा व आराजी नं0 54 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा भूमि का खातेदार काश्तकार जरिये विक्रयपत्र दिनांक 14.12.1963 से घोषित फरमाया जावे। प्रतिवादी 2, 3, 4 की ओर से अधिकार पत्र अधिवक्ता गिरधारीलाल आचार्य व नितिन सारस्वत का पेश हुआ। प्रतिवादी 2, 3, 4 वकील ने दिनांक 09.11.2017 के NO INSTRUCTION करके पैरवी से इंकार कर दिया। इनके विरुद्ध एकपक्षिय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 1 व

5 की और से भी नोटिस तामिल होने के बावजूद पैरवी नही करने के कारण एकतरफा कार्यवाही की गई। शहादत वादी पेश हुई। अखिलेष कुमार पुत्र सत्यनारायण के बयान कलमबद्व किये गये। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 8 में ख0नं0 54 को सिवायचक बनाया गया। तत्पश्चात् उसका आवंटन मोहन वल्द प्रभा भील सा0 देह को गैर खातेदार के रुप में बताया गया। वादी ने यह सिद्व नही किया कि कब खातेदारी उसकी समाप्त की गई, कब व किस आदेश से प्रश्नगत भूमि सिवायचक घोषित की गई। जिस आदेश से प्रश्नगत भूमि को सिवायचक घोषित किया गया उस आदेश को वादी द्वारा चुनोती दी गई है या नही वादी ने इस संबंध में कोई भी तथ्य, दस्तावेज आदि प्रस्तुत नही किया। जिस आदेश से प्रश्नगत भूमि को मोहन वल्द प्रीाा के नाम गैर खातेदार के रुप में आवंटन की गई उस आदेश को वादी द्वारा न तो पेश किया और न ही उस आदेश का की उल्लेख किया। उस आवंटन आदेश को कही चुनोती दी भी गई है या नही इस संबंध में भी कोई स्पष्ट उल्लेख नही किया गया। वादी ने अपने वादपत्र के पैरा नं0 01 में यह वर्णित किया कि ख0नं0 85 का रकबा 2 बीघा था। फिर पैरा नं0 03 में यह वर्णित किया कि ख0नं0 85 के नये नं0 153 रकबा 3 बीघा बने। वादी ने यह सिद्व नही किया कि ख0नं0 85 का रकबा जब 2 बीघा था तब ख0नं0 153 का रकबा 3 बीघा कैसे हो गया। वादी यह सिद्व नही कर पाया कि बदोबसती आ0नं0 85 का 2 बीघा रकबा ख0नं0 153 में ही मिला। अतः वादी का वादपत्र खारिज किये जाने योग्य है।

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 80–188 रा0टि0एक्ट खारीज किया जाता है। डिक्री मुर्तिब हो पक्षकरान खर्चा अपना अपना वहन करेंगे।

आदेश आज दिनांक 11.05.2018 को मुकाम लिखा जाकर सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

11/05/18

(प्रवीण कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां
(केम्प कास्या)